प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
ईश्वरसिंह राठौड गांव-थूम्बा पोस्ट पादरली वाया गुडा जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखड अधिकारी आहोर
प्रकरण अपील		33 /2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00129

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

05.12.2019

अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 18.12.2019 को जवाब/बहस हेतु पेश हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

26.12.2019

अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित।सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) आहोर से जवाब पत्र क्रमांक 286 दिनांक 18.12.2019 व पत्र क्रमांक 293 दिनांक 19.12.2019 के जरिये प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)आहोर ने जवाब में व्यक्त किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 18.11.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र जरिये डाक से इस कार्यालय में भिजवाया गया, जिसका जवाब क्रमांक/कोर्ट/19/253 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा निर्धारित समयावधि में भिजवाकर अपीलांट को सूचित कर दिया था।विचाराधीन अपील का बिन्दु वार जवाब निम्न प्रकार से है:

1. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2019 मे वर्णित बिन्दु सख्या 1 में राजस्थान भू अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत जवाई कमान्ड क्षेत्र के अधिन भूमि वर्ग बारानी को नहरी जवाई वर्ग परिवर्तन को लेकर वर्ष 2014 से अब तक पारित निर्णयो का सम्पूर्ण विवरण यथा खातेदार का नाम, खसरा नंबर नये व पुराने, गांव, पटवार सर्कल, वर्ग परिवर्तन किस्म आदि की सूचना चाही गई थी। उक्त बिन्दु से संबंधित इस न्यायालय की निर्णित पत्रावलीयां/मूल रिकार्ड जिला अभिलेखागार जालोर में जमा करवाई जा चुकी है।एवं उक्त रिकार्ड उपखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को नियमानुसार जिला अभिलेखागार जालोर से राजस्व कोर्ट की प्रक्रिया से नकल हेतु सूचित किया गया था।इस बिन्दु में वर्णित धारा 136 की वर्ष 2014 से अब तक पारित निर्णयो का सम्पूर्ण विवरण यथा खातेदार का नाम, खसरा नंबर नये व पुराने, गांव, पटवार, सर्कल, वर्ग परिवर्तन किस्म आदि की सूचना संकलित/तैयार कर नई सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नही है।परन्तु वर्ष 2014 से आज तक के दायरा रजिस्टर जिसमें उक्त वर्णित धारा के तहत फैसल शुदा पत्रावलीयो का अकंन है जिसका प्रार्थी इस कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकता है, एवं प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि के पूर्व/वर्तमान दायरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही जाने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जावेगी।

2. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत जवाई कमान्ड क्षेत्र के अधिन भूमि वर्ग बारानी को नहरी जवाई वर्ग परिवर्तन को लेकर विचाराधीन प्रकरणो का सम्पूर्ण विवरण यथा खातेदार का नाम, खसरा नंबर नये व पुराने, गांव, पटवार, सर्कल, वर्ग परिवर्तन किस्म वाईज सूचना का विवरण मांगा गया है जो इस न्यायालय में लम्बित है। उक्त सूचना संकलित/तैयार कर नई सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नही है।यदि प्रार्थी चाहे तो इस कार्यालय मे उपस्थित होकर अवलोकन कर सकता है, एवं प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि के पूर्व/वर्तमान दायरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही जाने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जावेगी।

अतः उक्त अनवान अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्ट उपखंड अधिकारी आहोर की ओर से जवाब प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना

के संबंध में रेस्पांडेन्ट द्वारा पत्र कमांक 253 दिनांक 26.11.2019 के जरिये जवाब भिजवाया जाकर सूचित कर दिया गया था।उक्त जवाब से संतुष्ट नही होने पर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।विचाराधीन अपील में रेस्पांडेन्ट द्वारा पत्रांक 293 दिनांक 19.12.2019 के जरिये प्रस्तुत जवाब की प्रति पत्र कमांक 294 दिनांक 19.12.2019 के जरिये अपीलांट को भी भिजवाया जाना पाया गया है।सूचना के अधिकार अधिनियम अनुसार कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाने के प्रावधान है।तथा रेस्पांडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलांट रेस्पांडेन्ट के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन कर नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर